वार्षिक निरीक्षण आख्या, न्यायालय सिविल जज(जू०डि०) रामसनेहीघाट, न्यायालय संख्या०–14, बाराबंकी द्वारा श्री आनन्द कुमार–I, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,न्यायालय संख्या 01, बाराबंकी।

वर्तमान निरीक्षण का दिनांक– 20.02.2023 व 21.02.2023

विगत निरीक्षण का दिनांक–23.03.2022 व 24.03.2022

....

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) रामसनेहीघाट, न्यायालय सं० 14, बाराबंकी के न्यायालय का वार्षिक निरीक्षण दिनांक 20.02.2023 व 21.02.2023 को किया गया। उक्त न्यायालय व कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण विगत वर्ष श्रीमती मौसमी मध्देशिया, तत्कालीन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,न्यायालय संख्या 01 बाराबंकी के द्वारा दिनांक 23.03.2022 व 24.03.2022 को किया गया था।

सुश्री अनुजया कृष्णा, सिविल जज (जू०डि०) रामसनेहीघाट, न्यायालय सं० 14, बाराबंकी दिनांक 13.04.2021 से 04.07.2022 तक उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यरत थीं। तत्पश्चात सुश्री अर्पिता साहू दिनांक 05.07.2022 से पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। वार्षिक निरीक्षण दिनांकित 23.03.2022 व 24.03.2022 के सम्बन्ध में जो दिशा निर्देश दिये गये थे, उनका अनुपालन सम्बन्धित न्यायालय के कर्मचारीगण द्वारा किया गया और वार्षिक निरीक्षण की छायाप्रति गार्ड फाइल में चरपा की गयी है।

सम्बन्धित न्यायालय से प्राप्त प्रश्नवार प्रपत्र संख्या–1 के साथ संलग्न करके प्रेषित किया गया है। दौरान निरीक्षण यह पाया गया कि पीठासीन अधिकारी द्वारा त्रैमासिक निरीक्षण नियमित रूप से किया गया है। मार्च 2022, जून 2022, सितम्बर 2022 व दिसम्बर 2022 की निरीक्षण आख्या को जनपद न्यायाधीश, बाराबंकी के प्रशासनिक कार्यालय में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। सम्बन्धित न्यायालय में कार्यरत मुंसरिम/रीडर को निर्देशित किया जाता है कि वह त्रैमासिक निरीक्षण आख्या को प्रशासनिक कार्यालय में समय से प्रेषित किया जाना सु नेश्चित करें।

निरीक्षण की अवधि के दौरान सम्बन्धित न्यायालय में निम्नलिखित कर्मचारीगण कार्यरत रहे हैं–

1–पैंजी पीटर, मुंसरिम/रीडर दिनांक 01.06.2019 से अब तक।

1–श्रीमती हिना दिलशाद, रीडर, दिनांक04.08.2020 से अब तक।

3--श्री अनिल कुमार जायसवाल, मूलवाद लिपिक, दिनांक 09.08.2018 से अब तक।

श्रीमानजी, अनुपालनहेतु नोट किया गया। रीडर

श्रीमान जी अनुपालन हेतु नोट किया मुंसरिम C-14

तारीख पेशी 28.02.2023 अंकित पायी गई। पंजिका को प्रत्येक माह के अन्त में पीठासीन अधिकारी के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

<u>पंजिका प्रकीर्ण सम्बंधित फैसला (प्रपत्र संख्या–68)</u>

यह पंजिका प्रकीर्ण लिपिक द्वारा दिनांक 01.12.2011 से अनुरक्षित की गयी है। पंजिका में लेबिल व हेडिंग चस्पा हैं। पंजिका मे शीर्षक अत्यधिक जीर्ण शीर्ण अवस्था में पाया गया। सम्बन्धित लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि पंजिका को अविलम्ब दुरूस्त करें। निरीक्षण के समय पंजिका की अन्तिम प्रविष्टि संख्या 13/2023, साहब बख्श बनाम अयोध्या प्रसाद क–3 स्वीकार अंकित पायी गई पंजिका को प्रत्येक माह के अन्त में पीठासीन अधिकारी के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

<u>लघु वाद दायरा पंजिका (प्रपत्र संख्या–68, अध्याय 14, रूल 400)</u>

यह पंजिका प्रकीर्ण लिपिक द्वारा दिनांक 01.03.2018 से अनुरक्षित की गयी है। पंजिका में लेबिल व हेडिंग चस्पा हैं। निरीक्षण के समय पंजिका की अन्तिम प्रविष्टि संख्या 17/2005 डा0 सुधीर वर्मा बनाम सालिकराम अंकित पायी गई। प्रत्येक माह के अन्त में पीठासीन अधिकारी के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

<u>लघु वाद फैसला पंजिका(प्रपत्र संख्या–69)</u>

यह पंजिका प्रकीर्ण लिपिक द्वारा दिनांक 01.08.2020 से अनुरक्षित की गयी है। पंजिका में लेबिल, हेडिंग शीर्षक चस्पा हैं। निरीक्षण के समय पंजिका की अन्तिम प्रविष्टि संख्या 03/2019 देवदत्त बनाम सुधीर अंकित पायी गई। पंजिका को प्रत्येक माह के अन्त में पीठासीन अधिकारी के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

पीठासीन अधिकारी का अपने कर्मचारीगण पर प्रभावी नियन्त्रण है।

निरीक्षण के समय अन्य कोई तथ्य मेरे संज्ञान में नहीं लाया गया।

सम्पूर्ण निरीक्षण के दौरान मैंने पाया कि इस न्यायालय के कर्मचारीगण द्वारा न्यायालय एवं कार्यालय का कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न किया जा रहा है।

(आनन्द कुमार–I)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–01, बाराबंकी।
JO Code UP 5938

दिनांक 21.02.2023

इस निरीक्षण आख्या की तीन प्रतियां न्यायालय सिविल जज(जू०डि०) रामसनेहीघाट, न्यायालय संख्या–14, बाराबंकी को भेजी जाये। निरीक्षण आख्या

में दिये गये निर्देशो का अनुपालन सम्बन्धित न्यायालय एवं कार्यालय द्वारा पन्द्रह दिनों के अन्दर करके, निरीक्षण टिप्पणी प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायाधीश, महोदय बाराबंकी को भेजी जाये तदुपरान्त निरीक्षण आख्या की एक प्रति माननीय उच्च न्यायालय को भेजी जाये।

(आनन्द कुमार-I)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-01, बाराबंकी।
JO Code UP 5938

दिनांक 21.02.2023

श्रीमानजी
अनुपालन किया
गया।
[illegible]
[illegible]

श्रीमानजी
अनुपालन किया
गया।
[illegible]
[illegible]

श्रीमानजी,
अनुपालन किया गया।
[illegible]
राइटर
[illegible]